संचिका सं0–10/प्रा०–07–07/2017.....1246.....(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 11/01/2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में भोजपुर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, शाहपुर एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, हसपुरा के पुराने भवन के स्थान पर तीस शैय्या वाले नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 6,80,47,000x2=13,60,94,000/- (तेरह करोड़ साठ लाख चौरानवें हजार रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में जिला पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक–829/डी.एच. दिनांक–12.08.17 एवं अधीक्षण अभियंता, आरा के कार्यालय के पत्रांक–1401/ दिनांक–09.12.2017 एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–2823, दिनांक–18.12.2017 से प्राप्त पत्र के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–3301, दिनांक–02.12.2017 के द्वारा रेफरल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में भोजपुर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, शाहपुर एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, हसपुरा के पुराने भवन के स्थान पर तीस शैय्या वाले नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 6,80,47,000x2=13,60,94,000/- (तेरह करोड़ साठ लाख चौरानवें हजार रुपये) मात्र लागत पर योजना एवं व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

(2) एतद्संबंधी निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा विपत्र कोड–20-4210021030101 में अव्यवहृत पड़े उपलब्ध कराये गये राशि से की जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त यथासमय संगत शीर्ष में उपबंधित राशि से प्रतिपूर्त्ति हेतु आवंटित की जाएगी ।

(3) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) एतद्संबंधी निर्माण कार्य भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि (2 एकड़) उपलब्ध होने के उपरान्त ही कराया जाएगा ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा । भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की होगी ।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(4) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथासमय इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0101-रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210021030101, विषय शीर्ष- (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(5) यथा समय इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या-244 एवं विपत्र कोड- K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

(7) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(11) प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है ।

(12) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(13) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 10/प्रा0-07-07/2017 के पृष्ठ-......../टि0 में प्राप्त है ।

(14) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 8/1/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः- 1246 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः- 11/01/2018

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं औरंगाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना एवं मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, भोजपुर एवं औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, शाहपुर (भोजपुर) एवं हसपुरा (औरंगाबाद)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

(हस्ताक्षर) 8/1/18

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\New folder1\DIP-10\Nagmani Kr Rajyadesh_Awantanadesh\Rajayadesh Awantanadesh (2017-18)\Refral Hos. Shahpur (Bhojpur).doc